

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग कोट बंगला, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।	प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड।
---	---

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-134 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-94) के कि० मी० 24.300 से कि० मी० 51.900 तक सिल्कयारा बैंड पर सुरंग निर्माण कार्य हेतु 25.825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:-**
1. वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्या, व. एवं ज.प. मंत्रालय, के. कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू. सी.पी./06/54/2017/एफ.सी./1253 दि 23.10.2017।(सैद्धान्तिक स्वीकृति)।
 2. कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-1524/FP/UK/ROAD/26823/2017. देहरादून दिनांक 06.11.2017।
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोट बंगला, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1536/12-1, कोट बंगला दिनांक 10.11.2017।(डिमांड नोट)
 4. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1138/12-1, दिनांक 13.11.2017।(डिमांड नोट)
 5. कार्पोरेशन आन-लाईन प्रक्रिया से प्राप्त बैंक चालान दिनांक 17.11.2017।

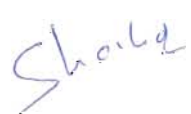
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सन्दर्भित पत्र संख्या -1 के अनुसार उपरोक्त परियोजना को 25.825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा दी गयी थी। उक्त स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् है:-

क्र.स.	शर्त/प्रतिबन्ध	अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित 7.977 हे० surface forest land के सापेक्ष दुगने अवनत आरक्षित वन क्षेत्र 16.00 हे० (7.00 Ha. Bibhradi Comptt. No. 7A in Upper Yamuna forest division & 9.116 Ha. Junga in section Dharasu in Uttarkashi forest division) पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 7.997 हे० के सापेक्ष अवनत आरक्षित वन क्षेत्र 16.00 हे० (7.00 Ha. Bibhradi Comptt. No. 7A in Upper Yamuna forest division & 9.116 Ha. Junga in section Dharasu in Uttarkashi forest division) प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी एवं प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट, उत्तरकाशी से दिनांक 10.11.2017 एवं 13.11.2017 प्राप्त रु० 40,82,699.00 की डिमांड धनराशि दिनांक 17.11.2017 को जमा करा दिया गया है।(सलग्न-1)।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त में आदेश अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन.पी.वी.) की डिमांड रु० 1,90,71,309.00 प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट, उत्तरकाशी से प्राप्त कर जमा करा दी गयी है। (सलग्न-1)

3.	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बड़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचन बद्धता (सलग्न-2) में प्रस्तुत की गयी है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में दिये गये आदेशनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होना है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी प्रेषित की जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी एवं प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना बडकोट से प्राप्त डिमांड नोट अपलोड कर एवं उक्त डिमांड नोट नोडल अधिकारी से सत्यापित हो जाने के पश्चात रु0 2,31,54,008.00 (रु0 40,82,699.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु एवं 1,90,71,903.00 एन.पी.वी. हेतु) का चालान Generate कर डिमांड धनराशि को उत्तराखण्ड कैम्पा में दिनांक 17.11.2017 को जमा करा दी गयी है। (सलग्न-1) व (सलग्न-4)।
5.	सड़क निर्माण एवं उपचार कार्य के पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों, Central Verge एवं परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख - रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस शर्त के अनुपालन हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सलग्न-3) में प्रस्तुत की गयी है।
6.	State Govt. Will provide revised NPV calculation for surface forest area and underground forest area separately applying correct NPV rates according to density in respect of both the forest divisions.	इस शर्त का अनुपालन की आख्या प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी एवं बडकोट /राज्य सरकार/ नोडल अधिकारी द्वारा दी जायेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


 शैलेन्द्र कुमार यादव
 महाप्रबन्धक (परि०)

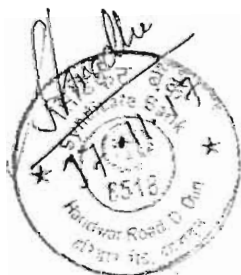
प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
2. वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्या, वन एवं ज.प. मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
3. कार्यालय पत्रावली।

SYNBR92017111700981656

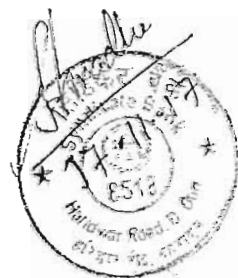
AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 17-11-2017	
Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT C
Application No.	6126823990
Location.	UTTARANCHAL
Address.	H No 58/37 1st Floor Balbeer Road DehradunDehradun
Amount(in Rs)	23154008/-
Amount in Words :Two Crore Thirty-One Lakh Fifty-Four Thousand and Eight Rupees. Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896126823990
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may Email: helpdeskampa@corpbank.co.in



AGENCY COPY	
NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA	
Date : 17-11-2017	
Agency Name.	NATIONAL HIGHWAYS AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT C
Application No.	6126823990
Location.	UTTARANCHAL
Address.	H No 58/37 1st Floor Balbeer Road DehradunDehradun
Amount(in Rs)	23154008/-
Amount in Words :Two Crore Thirty-One Lakh Fifty-Four Thousand and Eight Rupees. Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896126823990
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be credited to the respective CAMPA State Account.
This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only	

After making successful payment, User Agencies may Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

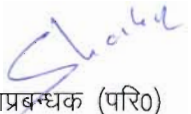


प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-134 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-94) के कि० मी० 24.300 से कि० मी० 51.900 तक सिल्कयारा बैण्ड पर सुरंग निर्माण कार्य हेतू 25.825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

एन० पी० वी० जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 1,90,71,309.00 मात्र विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त यदि मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की धनराशि में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो एन०पी०वी० की अतिरिक्त धनराशि भी राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा जमा करा दी जायेगी।


महाप्रबन्धक (परि०)
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं
अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड,
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

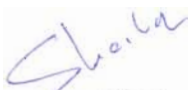
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट, उत्तरकाशी

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-134 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-94) के कि० मी० 24.300 से कि० मी० 51.900 तक सिल्वेयारा बैण्ड पर सुरंग निर्माण कार्य हेतू 25.825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ।

रिक्त स्थानो पर वृक्षारोपण हेतु वचन बद्धता का प्रमाण पत्र

प्रयोक्ता एजेंसी इस वचन देती है कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो परियोजना क्षेत्र के रिक्त पडे स्थानो पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।


महाप्रबन्धक (परि०)
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं
अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड,
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी अपर यमुना वन प्रभाग,
बडकोट, उत्तरकाशी

NHIDCL/DDN/Silkyara Tunnel/2017-18/D-542

Date:25.11.2017

सेवा में,

वन संरक्षक (भारत सरकार),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में उत्तरकाशी जिले के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-134 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-94) के कि० मी० 24.300 से कि० मी० 51.900 तक सिल्क्यारा बैण्ड पर सुरंग निर्माण कार्य हेतु 25.825 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, कोट बंगला, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1536/12-1, कोट बंगला दिनांक 10.11.2017। (डिमांड नोट)।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 1138/12-1, दिनांक 13.11.2017। (डिमांड नोट)।
3. वन संरक्षक, भारत सरकार, पर्या, व. एवं ज.प. मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू. सी.पी./06/54/2017/एफ.सी./1253 दि 23.10.2017। (सैद्धान्तिक स्वीकृति)
4. फॉरेस्ट प्रपोजल संख्या FP/UK/ROAD/26823/2017।

महोदय,

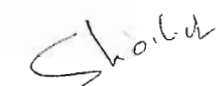
उपयुक्त विषयक पर ऑनलाइन फॉरेस्ट प्रपोजल नंबर FP/UK/ROAD/26823/2017 पर सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र - 3 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुई थी।

इसी क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग एवं प्रभागीय वनाधिकारी अपर यमुना वन प्रभाग बडकोट के द्वारा सन्दर्भित पत्र क्रमशः 2 व 3 के माध्यम से डिमांड नोट रु० 2,70,54,008.00 (2,31,54,008.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण व एन.पी.वी. हेतु एवं 39,00,000.00 मलबा निस्तारण योजना हेतु) की राशि को जमा कराने हेतु इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था।

जिसके अनुपालन में प्रयोक्ता के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर 17.11.2017 को चालान जनरेट कर 2,31,54,008.00 की राशि कैम्पा में जमा करा दी गई है। उक्त को संलग्नों सहित आपके कार्यालय में सूचनार्थ हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:-

1. चालान की जमा प्रति (प्रयोक्ता प्रति)।


शैलेन्द्र कुमार यादव
महाप्रबंधक (परि०)

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यालय प्रतिलिपि।